

Order of Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties of pleaders where Necessary
2-25/17	<p>आज आरक्षी केन्द्र रोहता के उपनिरीक्षक / सहायक आरक्षक / आरक्षक इ. 13 मुख्तुलाल (अमानि) क. 01/1/17 द्वारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध क. 01/1/17 अंतर्गत धारा 4/21 निरादे 2 एवं अन्य तमबलु इत्यादि अधि. 2003 भा 0 दंड 0 सं 0 अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>राज्य द्वारा ए 0 डी 0 पी 0 ओ 0 श्री प्रदीप सिंह लिबर 915 उप 0।</p>	
	<p>अभियुक्त / अभियुक्तगण धर्मेन्द्र 810 वरचुवाल बाहरी उम्र 22 वर्ष निवासी / निवासीगण जिला मुहुरी थाना रोहता जिला मुहुरी से अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को और अधिवक्ता श्री द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत किया।</p> <p>अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा 0 दंड 0 सं 0 / 2/21 2480 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) दंड 0 सं 0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>अभियुक्त / अभियुक्तगण दंड 0 प्र 0 सं 0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।</p> <p>चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / - (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।</p>	

दस्तावेज

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 2/21 भाद० सं० 10 / 2003 के अन्तर्गत अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 2000/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क० 6890 रसीद क० 28 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)